-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लूट कर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 हत्यारोपी/अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर लूटा गया माल बरामद

-बरामदगी का विवरण-

- 10.140 कि0ग्रा0 आभूषण (सफेद धातु)
- 4.439 कि0ग्रा0 आभूषण (पीली धातु)
- 1,20,710/- रुपये नकद
- 01 मोबइल फोन (मृतक का)
- 04 मोबाइल फोन (अभियुक्तगण के)
- 01 मोटरसाइकिल
- 01 स्कूटी

अवगत कराना है कि दिनांक **06.01.2025** की रात्रि को वादी विशाल पुत्र श्री स्व नरेश कुमार पुरानी मण्डी खटीको का मौहल्ला थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी के ताऊ सेवाराम पुत्र प्यारेलाल निवासी गाडों का चौक थाना मण्डी सहारनपुर की हत्या करने के संबंध में सूचना पर थाना मण्ड़ी पर मु0अ0स0 16/25 धारा-103(1) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना के अनावरण हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी के कुशल नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना मण्डी पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए हत्यारोपी **अभियुक्तगण 1.मसूद उर्फ डा0 महबूब पुत्र महफूज अली निवासी मौहल्ला लक्ष्मण नगर छोटे मदरसे वाली गली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2.अमित रोहिला उर्फ सोनू पुत्र प्रदीप रोहिला निवासी रतन डिपो वाली गली शारदा नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर 3.शान अली पुत्र नौशाद अली निवासी मौहल्ला आनन्द नगर निकट पार्क थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को आम के बाग से लूटे गए माल का बँटवारा करते समय गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से **सफेद धातु 10.140 किलोग्राम, पीली धातु 4.439 किलोग्राम, 1,20,710/-रुपये नकद, मृतक सेवाराम का सैमसंग मोबाईल तथा घटना में प्रयोग किया गये 04 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल सीडी डॉन व 01 स्कूटी एक्टिवा** बरामद किये गये । गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार

पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4),3(5), 317(2) बीएनएस0 की वृद्धि की गई । अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

घटना का विवरण - मृतक सेवाराम (उम्र 74 वर्ष) पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल निवासी गाडों का चौक कोतवाली मण्डी सहारनपुर में इनका पुश्तैनी मकान है तथा मृतक सेवाराम लोगो से उनके आभूषण गिरवी रखकर बदले में ब्याज पर रुपये देने का कार्य करता था । इसके परिवार में दो पुत्र व दो पुत्रियाँ हैं । बड़ी बेटी की शादी दिल्ली में हुई है और वहीं अपने परिवार के साथ रह रही है तथा छोटी बेटी अपने परिवार के साथ बंगलौर कर्नाटक में रहती है तथा बडे बेटे संजीव की मृत्यु करीब डेढ वर्ष पहले हो चुकी है व उसकी पत्नी पटेल नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर में रहती है और दूसरा बेटा खटीकों का मौहल्ला थाना मण्डी सहारनपुर में अपनी पत्नी व पुत्री के साथ रहता है मृतक सेवाराम अपने बडे बेटे की पत्नी के यहाँ खाना खाने जाता था दिनाँक 05.01.2025 सेवाराम ने खुद ही समय करीब 08.45 रात में अपनी बडी बहु को फोन करके बताया कि आज ठण्ड ज्यादा है मैं खाना खाने नहीं आऊँगा। इसके बाद दिनाँक 06.01.2025 को दोपहर का खाना खाने नहीं गये तब बड़ी बहु ने सेवाराम को समय करीब दोपहर 02.30 बजे फोन किया तो फोन से सम्पर्क नहीं हो पाया तब दोबारा समय करीब 05.30 बजे शाम को फोन किया और फिर फोन नही लगा तो बड़ी बहु ने अपने चचेरे देवर वादी मुकदमा विशाल जो मृतक सेवाराम को देखने के लिये फोन करके गाडों का चौक वाले घर पर भेजा तो वहाँ पर वादी उपरोक्त ने घर जाकर देखा तो घर के नीचे के सभी दरवाजे खुले है तथा ऑफिस/बैठक की लाईट जली हुई थी शेष घर में अँधेरा था तब विशाल ने अपने ताऊ सेवाराम को आवाज लगायी जब वह नही बोले तो विशाल ने भाभी को फोन करके बुलाया तब दोनो ने घर में जा कर देखा तो घर के उपरी तल पर बने कमरे में सेवाराम बेड व सोफे के बीच जमीन पर मृत अवस्था में मिला। तब विशाल के द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मसूद उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि मै दाढ-दाँतो का डाक्टर हूँ सेवाराम से दाढ-दांतो के उपचार के दौरान सेवाराम से मेरा मिलना-जुलना हो गया था तब मुझे पता चला कि सेवाराम सोना-चांदी गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देता है तथा औरतो का भी शौकीन है । तब मैने सेवाराम के यहा लूट करने की योजना बनायी और अपने साथी अमित रोहिला उर्फ सोनू उपरोक्त जो आनन्दनगर में नगर निगम में संविदा पर ट्यूबैल (नलकूप) ऑपरेटर का काम करता है तथा शान अली पुत्र नौशाद अली उपरोक्त जो अपने भाई के साथ रियल स्टेट का कार्य करता है को लूट की योजना में सम्मिलित कर लिया। अमित रोहिला ने सेवाराम की कमजोरी को देखते हुये एक महिला से सम्पर्क कर लिया और योजना अनुसार अमित उर्फ सोनू ने उक्त महिला को दिनांक 05.01.2025 को सारी प्लानिंग के बारे में समझाकर व बताकर सेवाराम के पास उसके घर भेज दिया और शाम के समय मैं भी सेवाराम के घर पर पहुँच गया और इसके बाद रात्रि 9.30 बजे के करीब शान अली व अमित भी सेवाराम के घर पहुँच गए वहा हम सभी ने मिलकर खाना खाया इसके बाद मैं सेवाराम की मालिश करने लगा। सेवाराम की मालिश करते समय हम चारो ने पहले सेवाराम का मोबाइल छीन लिया इसके बाद हम सभी ने मिलकर सेवाराम के हाथ पाव बांधकर व गला घोटकर सेवाराम की हत्या कर दी और रूपये व गहने लूट कर पैदल ही आनन्द नगर पार्क आ गए व वहां पर खडी मोटरसाइकिल व स्कूटी से हम लोग अपने-अपने घर को चले गए थे घटना के दौरान हम सबने अपने–अपने मोबाइल फोन से ही एक दुसरे से बात कर घटना को अंजाम दिया था तथा घटना में शामिल महिला के हिस्से में आये सोने चांदी के जेवरात व 20 हजार रूपये नकद उसी समय उसे देकर भेज दिया था

तथा शेष माल हमने शान के पास इसलिए रख दिया कि 1-2 दिन बाद बचे माल को आपस मे बाँट लेगे। लूट के शेष बचे हुये माल को आज हम आपस मे एक बाग मे बंटबारा कर रहे थे कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. मसूद उर्फ डा0 महबूब पुत्र महफूज अली निवासी मौहल्ला लक्ष्मण नगर छोटे मदरसे वाली गली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. अमित रोहिला उर्फ सोनू पुत्र प्रदीप रोहिला निवासी रतन डीपो वाली गली शारदा नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
3. शान अली पुत्र नौशाद अली निवासी मौहल्ला आनन्द नगर निकट पार्क थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 10.140 कि0ग्रा0 आभूषण (सफेद धातु)
- 4.439 कि0ग्रा0 आभूषण (पीली धातु)
- 1,20,710/- रुपये नकद
- 01 मोबइल फोन (मृतक का)
- 04 मोबाइल फोन (अभियुक्तगण के)
- 01 मोटरसाइकिल (सीडी डॉन)
- 01 स्कूटी (एक्टिवा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार प्रभारी सर्विलांस मय सर्विलांस टीम
3. अतुल कुमार चौकी प्रभारी खाताखेडी कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. ललित तोमर चौकी प्रभारी शाहादत कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. ज्ञानेंद्र सिंह चौकी प्रभारी मण्डी समिति कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
6. रणवीर सिंह उ0नि0 कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
7. हे0का0 100 राहुल त्यागी कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
8. हे0का0 02 कमल कौशिक कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
9. हे0का0 477 विनोद पंवार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
10. म0हे0का0 794 अर्चना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
11. का0 1460 अंकित पवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
12. का0 1039 शोएब मिर्जा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
13. का0 1600 मनोज आर्य कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाईनीज मांझा बेचने वाला 01 दुकानदार/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 गट्टू, चाईनीज मांझे की 15 गुच्छी व 1400/- रूपये बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री/इस्तेमाल की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **मनीष पुत्र प्रदीप सैनी निवासी नन्दपुरी गली नं0 04 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मिग्लानी बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे में प्रतिबंधित चाईनीज मांझे के 04 गट्टू, 15 गुच्छी व 1400/- रूपये नकद बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त मनीष उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 12/2025 धारा 223बी/126(1) बीएनएस व 5/15 पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त मनीष उपरोक्त ने बताया कि मैं चाईनीज मांझे को बाहर से खरीदकर लाकर यहा अधिक दामो मे बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मनीष पुत्र प्रदीप सैनी निवासी नन्दपुरी गली नं0 04 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- प्रतिबंधित चाईनीज मांझे के 04 गट्टू
- प्रतिबंधित चाईनीज मांझे की 15 गुच्छी
- 1400 रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 2526 लवकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाईनीज मांझा बेचने वाला 01 दुकानदार/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से प्रतिबंधित मांझे के 07 गट्टू व 2200/- रूपये बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री/इस्तेमाल की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **आबिद उर्फ लाला पुत्र इस्लाम निवासी नूर बस्ती सलीम का मकान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को रामघाट कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 3.090 किलोग्राम प्रतिबंधित मांझे के 07 गट्टू तथा 2200/- रूपये नकद बरामद । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त **आबिद उर्फ लाला** उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 13/2025 धारा 223बी/126(1) बीएनएस व 5/15 पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त आबिद उर्फ लाला उपरोक्त ने बताया कि मैं चाईनीज मांझे को बाहर से खरीदकर लाकर यहा अधिक दामो मे बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आबिद उर्फ लाला पुत्र इस्लाम निवासी नूर बस्ती सलीम का मकान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- प्रतिबंधित चाईनीज मांझे के 07 गट्टू
- 2200/- रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 653 आदेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 272 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. का0 2563 नरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 12.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा फाईनेंस कम्पनी में डकैती की घटना कारित करने वाले गिरोह के 02 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 9800/- रुपये, 02 देशी तमंचा,02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2024 को वादी श्री चतर सिंह पुत्र कचलूराम निवासी जिसऊ थाना सहिया देहरादून हाल पता भारत फाईनेन्स कम्पनी संजय कालोनी थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 29.11.2024 की रात्रि में 06-07 अज्ञात बदमाशो द्वारा संजय कालोनी बेहट स्थित फाईनेन्स कम्पनी में घुसकर तमन्चों के बल पर लॉकर में रखे 1,74,000/- रूपये लूट लेने व अन्य कर्मचारीगण से रूपये व मोबाइल फोन लूट लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 380/24 धारा- 310(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था। मुकदमा उपरोक्त में एक अभियुक्त को दिनांक 10.01.25 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा धारा 317(3) बीएनएस की बढोतरी की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी व घटना के सफल अनावरण हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिए आदेशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान ग्राम पानसर की पुलिया के पास स्थित खोखे के पीछे से 02 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण की पहचान **1. दानिश पुत्र राशिद निवासी मोहल्ला गाडान अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर 2. अभिषेक पुत्र शिवचरन निवासी ग्राम मेनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** के रूप में हुई। अभियुक्त दानिश के कब्जे से 01 देशी तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल फोन आईटेल कम्पनी व पर्स में 6200 रूपये तथा अभियुक्त अभिषेक के कब्जे से 01 देशी तमन्चा 315 बोर, 01जिन्दा कारतूस 315 बोर, व 3600/- रूपये बरामद। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त दानिश के विरूद्ध मु0अ0सं0- 15/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध मु0अ0सं0- 16/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो ने पिछले साल के नवम्बर की 29 तारीख को रात के समय संजय कालोनी में भारत फाईनेन्स लिमिटेड मैंनेजर व कर्मचारियो को हथियारो के बल डरा धमकाकर 1,74,000/- रुपये तिजोरी/लॉकर से व 18,600/- रुपये व उनके मोबाइल व एक चाँदी की चैन कर्मचारियो से डकैती डालकर लूट लिये थे। लूटे गये रूपये हम लोगों ने आपस में बाँट लिये थे। जो पैसे मेरे हिस्से में आये थे उनमे से हमारे पास यही रूपये बचे थे जो अभी आपको हमारे पास से मिले है। हम लोगों के गिरोह के एक सदस्य को आपने पहले गिरंफ्तार कर लिया था। आज भी हम लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे तो आप लोगों ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. दानिश पुत्र राशिद निवासी मोहल्ला गाडान अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर
2. अभिषेक पुत्र शिवचरन निवासी ग्राम मेनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दानिश पुत्र राशिद उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 380/24 धारा- 310(2)/317(3) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 015/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0सं0सं0- 263/24 धारा 3(5)/312 बीएनएस थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 144/24 धारा- 63 आबकारी अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 283/21 धारा- 307 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अभिषेक पुत्र शिवचरन उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 380/24 धारा- 310(2)/317(3) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 016/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0सं0सं0- 263/24 धारा 3(5)/312 बीएनएस थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 226/16 धारा- 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 228/16 धारा- 411/414/420/467/468 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 489/16 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 9800/- रुपये (लूटे गये)
- 01 मोबिल फोन आईटेल कम्पनी
- 02 देशी तमन्चे 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार प्रभारी एसओजी सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विनोद कुमार प्रभारी सर्विलांस सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. का0 1835 सन्दीप चिकारा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. का0 2036 हर्ष तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
9. का0 1344 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांकः 12.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा **01 वारण्टी अभियुक्त रियाज पुत्र रिजवान निवासी अहमद कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 2060/2021 मु0अ0सं0 95/2020 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को अहमद कालोनी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा पूर्व मे अभियुक्त/वारंटी के विरुध्द लगातार आदेशिकाये एनबीडब्लू व 82 सीआरपीसी जारी की जा रही थी। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

रियाज पुत्र रिजवान निवासी अहमद कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

अभियुक्त रियाज का अपराधिक इतिहासः-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	चालानी थाना
1	95/2020	2/3 गैगेस्टर	कुतुबशेर
2	393/2018	380/411/457 भादवि	कुतुबशेर
3	406/2018	380/411/457 भादवि	कुतुबशेर
4	520/2018	380/411 भादवि	कुतुबशेर
5	310/2021	414 भादवि	को0 देहात
6	311/2021	25/4 आर्म्स एक्ट	कोतवाली देहात
7	398/2021	380/411/457 भादवि	कोतवाली देहात
8	28/2019	307/398/401 भादवि	मण्डी
9	31/2019	25 आर्म्स एक्ट	मण्डी
10	44/2019	2/3 गैगेस्टर	मण्डी
11	145/2018	380 भादवि	मण्डी
12	159/2018	380/411/457 भादवि	मण्डी
13	321/2022	4/25 आर्म्स एक्ट	मण्डी
14	322/2022	414 भादवि	मण्डी

15	532/2024	380/411/457 भादवि	मण्डी
16	549/2018	4/25 आर्म्स एक्ट	मण्डी
17	137/2021	25/4 आर्म्स एक्ट	चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
2. है0का0 334 संजीव कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
3. है0का0 241 कपिल कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियत्रण एवं शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.01.2025 को कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान अबैध शस्त्र रखने वाले **अभियुक्त गुल मौहम्मद पुत्र मौहम्मद जाफर निवासी पेपर मिल रोड टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को पेपर मिल रोड़ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 12/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पुत्र मौहम्मद जाफर निवासी पेपर मिल रोड टैगोर गार्डन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध चाकू

अभियुक्त गुल मौम्मद का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0स0 464/21 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
मु0अ0स0 528/23 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
मु0अ0स0 595/21 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजारा जनपद सहारनपुर
मु0अ0स0 597/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
मु0अ0स0 68/23 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 77 अरुण खोखर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।